खण्ड-359, अंक-1
मंगलवार, 12 माघ, शक संवत् 1904
(1 फरवरी, 1983 ई0)

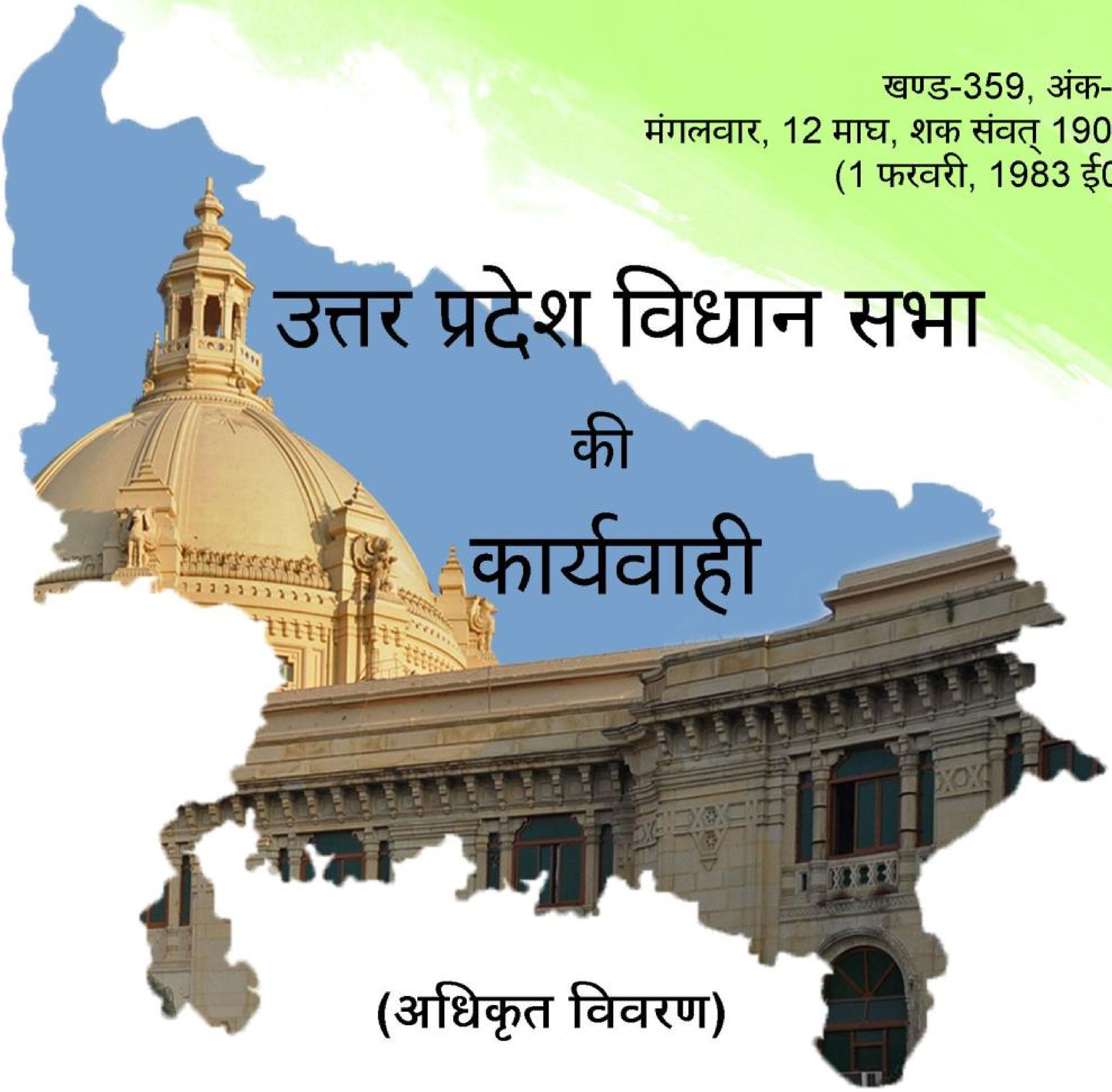

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 359 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	77–81
प्रश्नोत्तर	82–156
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	156–157
जिला बरेली, तहसील फरीदपुर क्षेत्र के गन्ना किसानों का गन्ना न क्रय किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	157
शुगर मिल मालिकों द्वारा गन्ने की ढुलाई की दर में वृद्धि किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	158
मथुरा जनपद के ईंट भट्ठा मालिकों के शोषण के खिलाफ मजदूरों के चल रहे अनशन व हड़ताल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	158–159
गत शीत लहर से हुई जन धन की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	159
सरकार के परस्पर विरोधी वक्तव्यों से उत्पन्न सदन के कार्यक्रम में अनिश्चितता के संबंध में औचित्य का प्रश्न	159–162
विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1982 में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उस पर कृत कार्यवाही का विवरण	163
नियम 301 की सूचनाओं के उत्तर समय से न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	163–165
उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (1981–82) का दशम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	165
हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री गुलाब मेहरा के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	165–166
श्री एस0डी0 बागला, आयुक्त इलाहाबाद मण्डल के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	167–168
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के निर्णय शीघ्र दिये जाने की मांग ..	168–170
श्री खैरुल बशर के दल परिवर्तन किये जाने की सूचना	170
गढ़वाल विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	170–171
लखनऊ विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (क्रमशः)	171
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमशः)	172–177
आज सदन में श्री अनेरी राम वर्मा द्वारा किये गये व्यवहार की निन्दा एवं खेद प्रकाश	177–185
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	185–187
लखनऊ विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (समाप्त)	187
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	187–188
सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना	188
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	188–200
सदन में पर्चे फेंकने की घटना के संबंध में कार्यवाही	201
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	201
कठिनाइयां	202–216

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	21
उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (अट्ठारहवां संशोधन) नियमावली, 1982 (सदन के पटल पर रखी गयी)	21
लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	21
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1978-79 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	21
उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1978-79 एवं 1979-80 (सदन के पटल पर रखे गये)	21
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति का शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	22
मेरठ मंडल विकास निगम लिमिटेड, मेरठ का वार्षिक प्रतिवेदन, 1980-81 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	22
दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 लिमिटेड की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1979-80 (सदन के पटल पर रखी गयी)	22
कराधान जांच समिति का प्रतिवेदन, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	22
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, 1980 (सदन के पटल पर रखे गये)	22
उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 1982 (सदन के पटल पर रखी गयी)	22
गोरखपुर मंडल विकास निगम लिमिटेड की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1978-79 (सदन के पटल पर रखा गया)	23
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र, 1977-78 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	23
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र, 1978-79 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	23
यू0 पी0 स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन, 1977-78 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	23
लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1972-73 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	23
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र (प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग) वर्ष 1982-83 (सदन के पटल पर रखा गया)	23
लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1973-74 (सदन के पटल पर रखा गया)	23

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982- (सदन के पटल पर रखी गयी)	24
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 (शाब्दिक और आनुषांगिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखा गया) .	24
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	24
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	24
उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	24
उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	25
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	25
उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	25
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	5
उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) संशोधन विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	25
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	26
अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	26
सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई आदि की सूचनाएं . . .	26
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	26-27
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	27-28
निर्वाचन याचिका संख्या 2 सन् 1978 के मामले में उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच की मत पत्र प्राप्त कराये जाने की सूचना . .	28
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) . .	28-29
नत्थियां	30-35

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 1 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 372

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा
अजहर इमाम, श्री	मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अनवार खां, श्री	अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भैय्या)	खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ऊदल, श्री	वाराणसी
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री	बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश चन्द्र, श्री	एटा
कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
खरपत, श्री	वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री	देवरिया
खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खुशहाल सिंह रागड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
गंगा सागर शंखधार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाब सेहरा, श्री	आगरा
गुलाब नबी, श्री	आगरा
गोंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा

135254
H
U.P.L.A
Vol. 35
1983

गोवर्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर — बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
चारु चन्द्र ओझा, श्री — पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री — बरेली
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री — फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री — खीरी
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जयदीप सिंह बरार, श्री — बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री — मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री — फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री — मेरठ
झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तोशेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री — खीरी
तेज बहादुर गंगवार, श्री — पीलीभीत
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दलजीत सिंह, श्री — रामपुर
दल सिंगार, श्री — आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन बन महन्थ, श्री — गोंडा
दीप उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री — कानपुर
धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्मपाल सिंह, डाक्टर — अलीगढ़
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
धूप राय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नाजिर अली, श्री — शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री — प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) — बलिया
निर्मल खत्री, श्री — फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री — एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी — इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती — अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर, श्री — रामपुर

विधान सभा

बंशीधर राज, श्री	खीरी
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तर काशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बुद्ध पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ब्रज किशोर मिश्र, डा0	देवरिया
बैजनाथ कुरील, श्री	लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री	बरेली
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भूपसिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शहराज)	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोण्डा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोण्डा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोण्डा
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी

राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नरायन, एडवोकेट, श्री — गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री — कानपुर
रामपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम यश सिंह, श्री — सहारनपुर
राम लाल, श्री — सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम शिरोमणि, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
राम सिंह, श्री — सहारनपुर
राम सिंह, श्री — सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री — बरेली
राम सिंह रावल, श्री — एटा
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री — सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच
राम हर्ष राय, श्री — गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रूप राम, श्री — शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) — इलाहाबाद
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
लालमा, श्री — आजमगढ़
लोकपति, श्री — मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री — मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री — लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय प्रकाश श्री, — इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री — आगरा

विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा0 — पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विशन लाल, श्री — बिजनौर
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री — गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री — गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर — गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री — वाराणसी
शंकर सिंह, श्री — जालौन
शम्भू नाथ, श्री — आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री — बांदा
शिव दर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री — नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री — उन्नाव
शिव बालक, श्री — रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री — अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डा0 — पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री — फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री — गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री — बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री — वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
सईदुल हसन, श्री — बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री — उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री — खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री — इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री — नैनीताल
सन्त बक्स रावत, श्री — लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती — बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री — प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री — मथुरा
साहब सिंह, श्री — गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री — शाहजहांपुर

अमर उजाला

सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती — रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुमन लता, श्रीमती — कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सुल्तानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) — गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री — बस्ती
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
सुल्तान सिंह, श्री — मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री — मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री — जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती — लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री — बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री — हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री — एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री — सीतापुर
हरदेव, श्री — बलिया
हरनरायन सिंह, श्री — रायबरेली
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री — बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री — उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री — देवरिया
हरि सिंह, श्री — बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री — कानपुर
हरीशंकर, श्री — हरदोई
हाफिज मुहम्मद सिद्दीक, श्री — मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
हेमचन्द निमेष, श्री — मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय श्री अध्यक्ष द्वारा अभिभाषण पढ़े जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

[समय 12 बजकर 30 मिनट]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोगों ने लिख कर दिया है। जो कार्यवाही आज आप प्रारम्भ करने जा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 को देखने की कृपा करें। यह कहता है, ''प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा को, अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनों को, राज्यपाल संबोधित करेगा तथा आह्वान का कारण विधान मण्डल को बतायेगा।'' मान्यवर, अंग्रेजी की जो प्रति है उसमें भी 'शैल' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी सम्बन्ध में हमारी कार्य संचालन नियमावली का नियम 19 देखने की कृपा करें। इसमें भी साफ लिखा है-''सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रति-वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मण्डल को आह्वान का कारण बतायेंगे।''

लेकिन आज 11 बजे जिस समय उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों के माननीय सदस्य एक साथ समवेत हुए, उस समय जब माननीय राज्यपाल महोदय, अभिभाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपना अभिभाषण पढ़ा नहीं, उसको किसी को दे दिया। इसलिए हमारा साफ एवं स्पष्ट मत है कि संविधान के हिसाब से और हमारी कार्य-संचालन नियमावली के हिसाब से पढ़ेंगे। कौल एवं शकधर ने भी लिखा है कि वह स्वयं पढ़ेंगे। लेकिन वह हुआ नहीं। अब आप हमारे नियमों के अनुसार सदन को सम्बोधित करने जा रहे हैं। जब अभिभाषण हुआ ही नहीं, उन्होंने सम्बोधित किया ही नहीं तो हम धन्यवाद का प्रस्ताव किसके ऊपर देंगे। यह हमारी संवैधानिक आपत्ति है।

*श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैंने सबसे पहले व्यवस्था का प्रश्न दिया। अपनी नियमावली के नियम 19 में आप देखें 'विधान मण्डल के दोनों सदनों को राज्यपाल का अभिभाषण और सभा में उस पर चर्चा' –इसमें लिखा है 'सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मण्डल को आह्वान के कारण बतायेंगे।'

श्रीमन् भारत के संविधान की धारा 175 का जो पहला हिस्सा है, उसके अन्तर्गत दिया है 'विधान–सभा को, अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में उस राज्य के विधान मण्डल के किसी एक सदन को, अथवा एक साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल संबोधित कर सकेगा।

'दि गवर्नर मे एड्रेस दि लेजिस्लेटिव एसेम्बली आर, इन दि केस आफ ए स्टेट हैविंग ए लेजिस्लेटिव काउन्सिल, आइदर हाउस आफ दि लेजिस्लेचर आफ दि स्टेट आर बोथ हाउसेज असेम्बिल्ड टु गैदर, एण्ड में फोर दैट परपज रिक्वायर दि अटेन्डेन्स आफ मेम्बर्स।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

-इसी संदर्भ में मै आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों में राज्यपाल को अधिकार दिया गया है ।

उसके लिए श्रीमन्, 160 धारा जो भारतीय संविधान की है, उसका अवलोकन करने का कष्ट करें।

'डिस्चार्ज आफ दि फंक्शन्स आफ दि गवर्नर इन सरटेन कन्टीजेन्सीज–दि प्रेसीडेन्ट में मेक सच प्रोवीजन्स एज ही थिन्क्स फिट फौर दि डिस्चार्ज आफ दि फंक्शन्स आफ दि गवर्नर आफ ए स्टेट इन एनी कन्टिनजेन्सी नाट प्रोवाइडेड फार इन दिस चैप्टर।'

कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के कर्त्तव्यों के परिपालन की व्यवस्था है । मान्यवर, आगे इसी चैप्टर में जो बासु की कमेन्टरी है । वह कहते हैं–– दुर्गादास बसु–एनालौग्स प्रोविजन-कनटास्ट करेस्पौन्डिंग प्रोविजन इन दि आर्टिकिल 70 अन्डर दि प्रजेन्ट आर्टिकिल, दि रिजीडुयरी पावर टू प्रोवाइड फार अनफोअरसीन कंटींजेन्सीज इज वैस्टेड नाट इन दि स्टेट लेजिस्लेचर, बट इन दि प्रेसीडेन्ट।

विशेष परिस्थितियों में, जब कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाय, तो राज्य का विधान मण्डल उस कार्य का स्वयं परिपालन नहीं करेगा, उसका परिपालन राष्ट्रपति ही करेगा इस सम्बन्ध में कौल और शकधर की किताब के 164 पेज में इसका विशेष रूप से उल्लेख है। इसमें कहा गया है–'प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेन्ट' कौल एण्ड शकधर । पेज 164 ।

'इन दि स्टेट इट इज दि गवर्नर हू डिलिवर्स दि एड्रेस टू दि स्टेट लेजिस्लेचर इनफोर्मिन्ग इट टू दि कालेज आफ इट्स सम्मेन्स । इफ दि गवर्नर इज इनकैपेबिल फ्राम डिलीवरिंग दि एड्रेस, दि प्रेसीडेन्ट मे मेक अदर प्रोविजन फार परफारमेन्स आफ दैट फंक्शन आफ दि गवर्नर, दि प्रोविजन इज मैन्डेटरी ।'

ये साफ कहते हैं कि जब गवर्नर साहब अक्षम हो जायं, अकल्पनीय उनकी स्थिति हो जाय, मैं कहता हूं कि वह 82 वर्ष के हैं, वह स्पीच डिलीवर नहीं कर सकते, तो राष्ट्रपति ही उसके लिए दूसरी व्यवस्था कर सकते हैं । भारत के संविधान के पेज 163 में कहा गया है–

राइट टू एड्रेस दि लेजिस्लेचर–

''एकोर्डिंग टू आर्टिकिल 176(1) आफ दि कान्सटिट्यूशन,'' एट दि कमेन्समेन्ट आफ दि फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू दि लेजिस्लेटिव असेम्बली एण्ड 'एट दि कमेन्समेन्ट आफ दि फर्स्ट सेशन आफ ईच इयर, दि गवर्नर शैल एड्रेस दि लेजिस्लेटिव असेम्बली आर इन दि केस आफ दि स्टेट हैविंग ए लेजिस्लेटिव कौन्सिल, बोथ हाउसेज असेम्बिल्ड टू गैदर एण्ड इनफौर्म दि लेजिस्लेचर आफ दि काजेज आफ इट्स सम्मनस''. दिस इज एनालौग्स टू दि स्पीच फ्राम दि थ्रोन इन ग्रेट ब्रिटेन. ह्वेयर एज दि स्पीच फ्राम दि थ्रोन मे आर मे नाट बी डिलिवर्ड इन परसन दि गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस दि लेजिस्लेचर हिमसैल्फ.''

अपने अतिरिक्त महामहिम राज्यपाल विधि मण्डल के सामने दूसरे से अपना भाषण नहीं पढ़वा सकते । इसके संबंध में कई परम्परायें हाउस आफ कामन्स और ब्रिटेन में भी रही हैं । इ0 में की जो किताब है । उसके 19वें संस्करण के पेज 272 पर लिखा है–

''इर्सीकिन में–

पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस. 19थ एडिशन. पेज 272.

[श्री मोहन सिंह]

(ए) दयेर आर आलसो प्रिसिडेन्ट्स फौलोड फौर मैनी ईयर्स बाई दि क्वीन विक्टोरिया एण्ड थ्रूआउट हर रेन बाई जार्ज I फौर दि स्पीच टू बी रैड बाई दि लार्ड चान्सलर्स इन दि प्रेजेन्स एण्ड अंडर दि परसनल डाइरेक्शन आफ दि साबरेन''

ब्रिटेन के संसद के अन्दर यह परम्परा विक्टोरिया और जार्ज फर्स्ट ने इस परम्परा का निर्वहन किया कि उनका भाषण लार्ड चान्सलर पढ़ा करते थे । लेकिन यह परम्परा उनकी थी किसी जमाने में जब भारत का संविधान बन गया और इसके लिए हमने एक विशेष धारा का प्राविधान कर दिया, जिस विशेष धारा के अन्तर्गत हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति ही राज्यपाल की अस्वस्थता के कारण अभिभाषण दूसरे से पढ़वा सकते हैं, ऐसी स्थिति में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण को दूसरे से भाषित कराकर संविधान की धारा 176 और 160 दोनों का अतिक्रमण किया है। महामहिम राज्यपाल ने राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का कुप्रयास किया है । ऐसी परम्परा हमारे कई विधान सभाओं में हुई है कि यदि राज्यपाल पूरा अभिभाषण न पढ़ सके तो अभिभाषण का शुरू का अंश और लास्ट का अंश पढ़कर पटल पर रख कर चले गये और वह पढ़ा हुआ मान लिया गया । लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि महामहिम राज्यपाल अपनी अस्वस्थता के कारण बैठकर किसी स्पीकर या चेयरमैन से अभिभाषण को पढ़ायें । यह हिन्दुस्तान की संसदीय परम्पराओं और नियमों के विपरीत बात हुई । हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति को संविधान में जो अधिकार प्राप्त है, उसका अतिक्रमण महामहिम राज्यपाल द्वारा किया गया है इसलिये आज का अभिभाषण जो आपके द्वारा पढ़ा गया है, यह पढ़ा हुआ भाषण माना नहीं जाना चाहिये । यह विधान मण्डल के समक्ष महामहिम राज्यपाल द्वारा किया गया अभिभाषण नहीं है । इसलिये आप इसको यहां प्रस्तुत करने का कष्ट न करें ।

श्री रियासत हुसैन–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन सिंह ने जिन रिफ्रेंसेज के साथ प्रश्न को उठाया है, मैं पूर्णतया उनसे सहमत हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के आधार पर राज्यपाल महोदय बराय राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व हर प्रदेश में करते हैं। जैसा हवाला दिया गया यदि ये अपनी ड्यूटीज को करने में कहीं दिक्कत महसूस करते हैं तो स्पष्ट रूप से इनको राष्ट्रपति का निर्देश लेना चाहिए कि इस सूरत में मैं क्या करूं ? प्रश्न यह उठाया गया है कि अगर राज्यपाल अस्वस्थ थे तो क्या उन्होंने तहरीरी अनुमति राष्ट्रपति की ली थी । ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करना है और यह समस्या है इसका निराकरण किस तरह से किया जाय, आपका इसमें क्या निर्देश है ?

दूसरी बात यह है कि ऐसी स्थिति में परम्परा यह रही है कि किसी वजह से राज्यपाल अस्वस्थ हैं भाषण नहीं दे सकते तो प्रक्रिया यह रही है कि शुरू और अन्त का अंश पढ़ दिया । लेकिन यह आज तक नहीं हुआ कि राज्यपाल जब दोनों सदनों का संबोधन कर रहे हों तो उनका अभिभाषण कभी-कभी माननीय अध्यक्ष या चेयरमैन कौन्सिल ने पढ़कर सुनाया हो । वह इसलिए नहीं हुआ कि संविधान के आधार पर, नियमावली के आधार पर यह निश्चित नियम है कि ज्वाइन्ट सेशन के एड्रेस के बाद दोनों सदनों में अपनी-अपनी जगह विधान सभा अध्यक्ष और कौन्सिल चेयरमैन उस अभिभाषण को टेबुल करेंगे एक निर्धारित समय के अन्दर जैसा कि आज के एजेन्डे में भी है । आपको पढ़ने के लिए समय निश्चित है । आप पढ़कर सुनायेंगे तभी वह हाउस की प्रापर्टी होगी और उस पर डिस्कसन होगा । आज राज्यपाल के अभिभाषण को संविधान के विरुद्ध पढ़कर सुनाया गया है और यह सदन की नियमावली के विरुद्ध भी है । उन्होंने तहरीरी तरीके से राष्ट्रपति से आज्ञा नहीं मांगी लिहाजा मैं समझता हूं कि जो महामहिम राज्य-

पाल का आज 11 बजे दोनों सदनों का सम्बोधन हुआ है और जिस पर सदन बहस करने जा रहा है, वह अनुचित है । इससे संविधान की अवहेलना हुई है और राष्ट्रपति के अधिकारों की अवहेलना हुई है । और वह स्वयं राज्यपाल महोदय ने अपनी ही सूझ-बूझ से सारा काम करके उचित कार्य नहीं किया । ज्यादा टीका-टिप्पणी मुझे नहीं करनी है महामहिम राज्यपाल के ऊपर, लेकिन यह जरूर है कि जो कुछ भी हुआ है, वह अनुचित है ।

श्री भीखा लाल–

अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में जो तर्क माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने और मोहन सिंह जी ने दिए हैं, उनसे मैं पूर्णतया सहमत हूं । उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं जो संविधान के उद्धरण उन्होंने आपके सामने दिए हैं उनसे महामहिम राज्यपाल का यह अभिभाषज दोनों सदनों में दिया हुआ नहीं माना जा सकता । मैं जानता हूं कि शासन की तरफ से और हमारे विद्वान संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से तर्क दिए जायेंगे कि बिल्कुल राज्यपाल का अभिभाषण है । मैं तर्क के लिए, थोड़ी देर के लिए इस बात को मान लेता हूं कि राज्यपाल का दिया हुआ अभिभाषण है लेकिन मान्यवर, जो काम आपको साढ़े बारह बजे करना था वह आप ग्यारह बजे कर चुके । आपने स्वयं ही पढ़ा । पहला एजेन्डा लेने की जरूरत ही क्या है । पहला एजेन्डा जब लेना नहीं है तो सदन की प्रापर्टी बन नहीं सकती । बहस कैसे होगी ? वह काम कर चुके जो इस वक्त करना था चेयर की तरफ से । महामहिम राज्यपाल जी ने कोई ऐसा कारण भी नहीं बताया कि क्यों नहीं पढ़ना चाहते। शोर-शराबे में कुछ नहीं सुना। मैं इतना समझा कि उनके पैर में तकलीफ है । खड़े नहीं हो सकते । खड़े नहीं हो सकते थे तो बैठकर ही भाषण दे सकते थे । उनकी जुबान में तकलीफ नहीं थी । इसका उल्लेख नहीं सुना । संविधान के विपरीत खुद व्यवस्था दे दी । यह संविधान के विपरीत है । इसलिए यह अभिभाषण महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण नहीं हो सकता और उसको आप सदन की प्रापर्टी बनाने के लिए आप खुद पढ़ नहीं सकते ।

*श्री फखरे आलम–

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो विचार आपके सामने रखे हैं, उनसे मैं पूरी तरह से सहमत हूं और उनको दोहराना नहीं चाहता । मैं आपकी तवज्जह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल जी ने जो एड्रेस देना था, उस एड्रेस को वह खुद पढ़ कर सुना सकते थे या किसी दूसरे को अपनी पावर डेलिगेट कर सकते थे । मेरा यह कहना है कि माननीय राज्यपाल को इस बात का कोई अख्तियार नहीं है कि वह अपने पावर को डेलिगेट करें । पावर संविधान में लिखी हुई है । जो हमारे रूल्स बने हुए हैं, उनमें स्वयं का वर्ड है ताकि माननीय राज्यपाल उसको खुद पढ़कर सुना सकें । आपको अख्तियार नहीं दे सकते । उनको एक्जीक्यूटिव पावर है । वह संविधान में पूरी तरह डिफाइन्ड है और हमारे रूल्स में पूरी तरीके से लिखे हुए हैं । मान्यवर, आपको उन्होंने यह अख्तियार दे दिया कि आप उनके एड्रेस को पढ़ें हाउस के सामने। जिस वक्त आपने एड्रेस को पढ़कर सुनाया उस वक्त आपकी राज्यपाल की हैसियत थी और अगर आप उस वक्त राज्यपाल थे तो अब आप इस वक्त भी राज्यपाल हैं तो इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते । अगर उस वक्त आप राज्यपाल नहीं थे तो आपने गवर्नर की हैसियत से भाषण नहीं पढ़ा था, विधान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री फखरे आलम–]

सभा के अध्यक्ष की हैसियत से एड्रेस पढ़ा था तो वह आपका एड्रेस हो सकता है, वह राज्यपाल का एड्रेस नहीं हो सकता । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे स्टेट के हेड हैं, एक्जीक्यूटिव के हेड हैं, उन्होंने हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं हाउस के सामने। उस काम को किया है जिसकी मिसाल हिन्दुस्तान की कान्सटीट्यूशन में नहीं बल्कि दुनिया के किसी मुल्क की पार्लियामेन्ट की तारीख में आपको नहीं मिल सकती । अगर हमारे राज्यपाल इस काबिल नहीं थे कि वे एड्रेस को पढ़ सकते, अगर उनको कोई परेशानी थी तो वह गवर्नमेन्ट हाउस में बैठे रहते और किसी को वहां से भेज देते और वह यहां आकर उनका अभिभाषण पढ़ देता । मान्यवर, आपको यह फैसला देना है, एक दुश्वारी पैदा हो रही है । आपने गलत काम किया या सही किया है। इतना बड़ा कान्स्टीट्यूशनल टंगिल पैदा हो गया कि आप अपने फैसले के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते । इसलिए निवेदन है कि आप हमारा मार्ग दर्शन करें और आप अपने जजमेन्ट पर जजमेन्ट देने बैठे हैं, क्या होगा ? कोई कार्यवाही नहीं हुई, राज्यपाल महोदय का कोई एड्रेस नहीं हुआ, कोई अभिभाषण नहीं हुआ इसलिए कोई धन्यवाद का सवाल ही पैदा नहीं होता कि राज्यपाल को धन्यवाद दिया जाये ।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो गुप्ता जी ने और मोहन सिंह जी ने सवाल उठाया है और उसके सिलसिले में तर्क दिये गये उनसे सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं इस सदन का हर सदस्य सहमत होगा। मान्यवर, 11.00 बजे जिस समय राज्यपाल महोदय यहां आये, मैं यह कह दूं यह सदन पूरी तरह से संविधान में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप था, यह सदन संविधान में दिये गये प्राविधानों को सर्वोपरि मानकर चलता है, राज्यपाल यहां आकर अगर एक व्यक्ति की हैसियत से उसके अनुरूप कार्य न करें तो यह सदन उसे दरदाश्त नहीं कर सकता । हो सकता है राज्यपाल के अभिभाषण पर हम चर्चा नहीं कर सकते, राज्यपाल सदन के सामने संविधान के प्राविधान के तहत अपना अभिभाषण करेंगे, यह व्यवस्था दी है और यह व्यवस्था भी दी गई है कि यदि वे अपने को अक्षम पाते हैं किन्हीं कारणों से तो उसके लिये राष्ट्रपति से अनुमति लें, अपनी मजबूरी राष्ट्रपति के सामने रखें और राष्ट्रपति यह निर्देश दें कि कौन उनके अभिभाषण को पढ़ेगा । इतनी स्पष्ट बात होने के बावजूद भी सदन के सामने, बल्कि दोनों सदनों के सामने, उसकी अवहेलना हुई । मैं इस मत का हूं बल्कि सदन का भी मत है कि उसे राज्यपाल का अभिभाषण नहीं माना जाना चाहिए और उसे आप मुंह से पढ़ कर सदन के सामने न रखें ।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, मैं भी खड़ा हुआ था . . .

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने उनको बुला लिया है, उनको बोलने दीजिये । आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, श्री मोहन सिंह जी ने संविधान की धारा 157(1) का हवाला दिया और उस धारा को उन्होंने स्वयं पढ़ कर सुनाया । उसके बाद धारा 176 भी उसी के साथ पढ़कर सुनायी जिसके अन्दर लिखा हुआ है कि "एट दि कमेन्समेंट आफ दि फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू दि लेजिस्लेटिव असेम्बली एण्ड एट दि कमेन्समेंट आफ दि फर्स्ट सेशन आफ दि ईच इयर, दि गवर्नर शैल एड्रेस दि लेजिस्लेटिव आर इन दि केस आफ ए स्टेट हैविंग ए लेजिस्लेटिव कौन्सिल, बोथ हाउसेज असेम्बिल्ड टूगेदर एण्ड इनफार्म दि लेजिस्लेचर आफ दि कालेज आफ इट्स कम्मन्स" यानी हर चुनाव के बाद और हर साल सत्र शुरू होने के पहले महामहिम राज्यपाल महोदय दोनों सदनों को सम्बोधित करेंगे और सदनों को बुलाये जाने का कारण सदन में बतायेंगे । आज जो प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसे हम देखें तो राज्यपाल महोदय यहां पर आये । राज्यपाल महोदय जब यहां पर आये तो दोनों सदनों के सदस्य यहां पर मौजूद थे । उन्होंने हाउस को एड्रेस किया । मान्यवर, उसके बाद यहां पर उस तरफ से कुछ हुल्लड़ हुआ हंगामा हुआ ।

कई सदस्य–

हुल्लड़ ?

श्री अम्मार रिजवी–

'हुल्लड़' आपकी समझ में नहीं आयेगा। उसके बाद आपने उन्हें अधिकृत किया कि यह पढ़ दिया जाये । फिर स्वयं आकर यहां पर पढ़ा । उसके बाद जो ज्वाइंट सेशन था वह समाप्त हुआ । देखना यह है कि जो कान्सटीट्यूशनल प्राविजन्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, उन पर कहां आघात पहुंचता है। राज्यपाल जी का आना, दोनों सदनों को सम्बोधित करना, स्वयं पढ़ना और उसके बाद समाप्त करना, कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिस पर कहीं एतराज हो और कहा जाय कि यह ऐसी परम्परा है जो कभी हुई नहीं । हमारे काबिल दोस्त, मोहन सिंह जी ने कहा कि ऐसी परम्परा प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई । मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इसके पूर्व के दृष्टान्तों की ओर । इसी सदन में सन् 65 और 74 में आपको याद होगा कि गवर्नर का अभिभाषण सभापति, विधान परिषद् ने पढ़कर सुनाया । मोहन सिंह जी ने "मैं" की पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर का उल्लेख किया है, इंगलैण्ड का हवाला दिया है । वहां पर यह जबरदस्त बात है कि क्वीन कभी आती हैं, कभी नहीं आती हैं । जब नहीं आती हैं तब उसका लार्ड चान्सलर पढ़कर सुना देता है । ऐसे स्टेट का जहां हेड आफ स्टेट कभी आता है कभी नहीं आता है, हवाला देना उचित नहीं है ।

मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा की तरफ दिलाना चाहता हूं । योगेन्द्र नाथ बनाम स्टेट, ए0 आई0 आर0, 1967, राजस्थान, 125 में हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था दी जिसके आधार पर एड्रेस पढ़ा हुआ माना गया । राज्यपाल ने दूसरे से अभिभाषण पढ़वाया था, सदन में इस पर शोर हुआ, आवाजें आईं काफी विरोध में । कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो कुछ पढ़ा गया है, सही पढ़ा गया है, गलत नहीं पढ़ा गया है किसी कान्सटीट्यूशनल प्वाइंट का वायलेशन नहीं हुआ है। आप गौर करें कि जो न्यायालय का निर्णय है उसका आधार क्या है ।

(शोर)

सैयद अब्दुल बनाम वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव एसेम्बली, ए0 आई0 आर0, 1966, कलकत्ता, पी 370 में भी इसी संदर्भ में निर्णय हुआ । महामहिम राज्यपाल जी आये, विरोध पक्ष ने शोर किया, हुल्लड़ हुआ, वह एड्रेस को टेबुल पर ले करके चले गये । इस पर कोर्ट ने कहा कि यह बात ठीक है कि वह ले करके चले गये फिर भी एड्रेस पढ़ा हुआ माना जाना चाहिये । यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने पहला पेज पढ़ा है ।

कई सदस्य–

कहां पढ़ा ?

श्री अम्मार रिजवी–

स्वयं पढ़ा था, आप व्यस्त थे दूसरी तरफ, सुन नहीं रहे थे । शुरू में स्वयं पढ़ा, उसके बाद अध्यक्ष जी को निदेश दिया राज्यपाल जी ने । फिर आखिर में पढ़ा । ज्वाइंट सेशन जो बुलाया जाता है उसको संचालित करने का अधिकार गवर्नर को होता है, वह किसी को भी निदेश दे सकता है, उन्होंने विधान सभा के अध्यक्ष को निदेश किया । 65 और 74 में विधान परिषद् के सभापति ने पढ़ा, यहां पर विधान सभा के स्पीकर ने पढ़ा । यहां कोई चीज अनुचित नहीं हुई । किसी प्रकार का संविधान का वाइलेशन नहीं हुआ । राज्यपाल यहां आये, अभिभाषण को पढ़ा, बीच में आपने पढ़ दिया, आखिर में स्वयं पढ़ा । बाहर के दूसरे प्रदेशों में राज्यपाल के अभिभाषण को अधिकृत व्यक्ति ने पढ़ा और राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा हुआ माना गया । यहां पर तो पूरा अभिभाषण पढ़ा गया है लेकिन जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके लिये तो दिन भर पढ़ा जाय तो भी वह नहीं सुन सकते हैं । इसलिये मोहन सिंह जी ने जो आपत्ति उठाई है, उसमें कहीं भी संविधान की धारा का उल्लंघन राज्यपाल महोदय ने नहीं किया है । मान्यवर, आपने भी जब अभिभाषण को पढ़ा तो आपने भी अपने अधिकारों और राज्यपाल महोदय के अधिकारों के अन्तर्गत पढ़ा और उससे कहीं नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न कोई असंवैधानिक चीज हुई है ।

श्री रियासत हुसैन–

संसदीय कार्य मंत्री ने जो भी तर्क रखे हैं उससे यदि सदन के अंदर तत्काल कोई परिस्थिति पैदा हो जाय तो उससे वह तर्क संबंध रखते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जांय । आप पहले बोल चुके हैं ।

(श्री भीखालाल के खड़े होने पर)

मा0 श्री भीखालाल जी आप भी पहले बोल चुके हैं इसलिये आप बैठ जांय । एक बार बोलने के बाद दूबारा मैं बोलने की इजाजत नहीं देता हूं ।

*श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, एक बिन्दु पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राज्यपाल महोदय ने कुछ वाक्य पढ़ने के बाद अध्यक्ष महोदय को अधिकृत कर दिया । मा0 मंत्री जी का अभी जो भाषण हुआ उससे जाहिर हुआ कि राज्यपाल महोदय को अधिकार था कि आपके अलावा किसी दूसरे को भी वह पढ़ने के लिये अधिकृत कर सकते हैं । विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अन्तर्गत मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा प्राविधान है कि जिससे राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण को पढ़ने के लिये आपको या किसी दूसरे को अधिकृत कर सकते हैं ? यदि यह बात दिख दें तो मुझे कुछ नहीं कहना है । मा0 मंत्री जी ने जो रूलिंग पढ़ी वह तो दूसरे संदर्भ में है । मंत्री जी ने कहा कि हम लोग राज्यपाल महोदय का पढ़ना नहीं सुन पा रहे थे इसलिये उन्होंने अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया, तो यह बात नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्यपाल महोदय दूसरे की आवाज किराये पर या उधार ले सकते हैं या अपना हेल्पर इसके लिये रख सकते हैं? ऐसा संविधान में प्राविधान नहीं है। रूलर का यहां कोई प्राविधान नहीं है। राज्यपाल महोदय जो स्वयं नहीं कर सकते हैं । उसके लिये वह किसी दूसरे को करने के लिये अधिकृत नहीं कर सकते हैं । दूसरी बात, दोनों सदन जब यहां समवेत हों तो उस समय आप भी मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम सिंह]

स्पीकर की ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं करते हैं और राज्यपाल महोदय के संरक्षण में आप कार्य करते हैं। तो आप जब अध्यक्ष के फंक्शन करने में सक्षम नहीं हैं तो क्या आपको अधिकार हो जाता है एड्रेस पढ़ने का ? तीसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको अधिकृत कर दिया या स्पीकर के तौर पर आपने पढ़ दिया तो कौन से नियमों के अनुकूल अभिभाषण को दुबारा यहां पढ़ने की आवश्यकता पड़ी । इसलिये मान्यवर, आप इसको हल्केपन से न लें । जिस प्रकार से यहां संविधान की धज्जियां उड़ाई गयी हैं उसमें मैं चाहूंगा कि आप सदन के अधिकारियों को मानेंगे और आप इसको अब नहीं पढ़ेंगे ।

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, संसदीय कार्य मन्त्री जी ने एक बात कही जिसका आपसे सम्बन्ध है । कानूनी तर्क उन्होंने दिया और कहा कि राज्यपाल महोदय जब भाषण पढ़ने के लिये तैयार हुए कि सदन में शोर शराबा हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी बात कोई नहीं सुन सकता है, इसलिये उन्होंने मान्यवर, आपको पढ़ने के लिये अधिकृत किया, तो आप निर्णय दें तो यह आप बतायेंगे कि राज्यपाल महोदय ने यह कहकर पढ़ने के लिये दिया कि सदन में शोर-शराबा हो रहा था, इसलिये आप पढ़ें या यह कहा कि मैं शारीरिक रूप से अक्षम हूं, इसलिये आपने पढ़ा, इस पर भी आप निर्णय देंगे ।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)–

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा दिलचस्प मामला उठाया गया है । जहां तक संविधान की धारा 175 का सम्बन्ध है न पक्ष और प्रतिपक्ष, किसी की उसके बारे में दो राय नहीं है । अब प्रश्न यह है कि अभिभाषण क्या है, उपस्थिति क्या है ? मान लीजिये मैं भाषण कर रहा हूं और लाउडस्पीकर से भाषण जा रहा है तो वह लाउड-स्पीकर का भाषण तो हुआ नहीं । जहां तक संविधान की मंशा है वह साफ है । मान लीजिये गवर्नर साहब यहां पर उपस्थित होने में असमर्थ होते तो वह व्यवस्था आ गयी होती जो संविधान द्वारा अपेक्षित है । वह शारीरिक तौर पर यहां उपस्थित होने में सक्षम थे। मैं यह कह रहा हूं कि वह यहां उपस्थित हुए थे और अभिभाषण हुआ था । उन्होंने आरम्भ किया । यह दूसरी चीज है कि उन्होंने आपको अधिकृत किया । उनकी आवाज, उनके भाषण को लाउडस्पीकर के जरिये से प्रसारित किया जाय या किसी व्यक्ति के जरिये से प्रसारित किया जाय, वह गवर्नर का अभिभाषण ही है । (शोर) आप मेरी बात सुनें । मैं निवेदन करना चाहता हूं, शासन गवर्नर को परामर्श देने के लिये है । गवर्नर साहब यहां आये, आप गवर्नर साहब के साथ यहां पर थे । उस वक्त दोनों सदन समवेत थे, उपस्थित थे । उस समय एक पैराग्राफ गवर्नर साहब ने आदि का, अन्त का पढ़ा और शेष आपने । विरोध पक्ष के लोगों को सुनना चाहिये था । वे हल्ला मचाकर निकल गये । नियम अपने प्रति इस्तेमाल नहीं करेंगे । अगर मैं होता तो मैं निश्चित उनसे कहता कि आप ने एक पैराग्राफ पढ़ दिया अंतिम पढ़ दीजिये, राज्यपाल जी का भाषण समाप्त हो गया ।

श्री मोहन सिंह–

यह आपने बिल्कुल हमारी बात कह दिया है ।

श्री वासुदेव सिंह–

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह गवर्नर साहब की एड्रेस सहायता थी । कोई भी माध्यम हो, कोई मशीन हो, कोई आदमी हो, वह गवर्नर साहब का सहायक ही था । भाषण उन्हीं का ही था ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पूरे तरीके से माननीय सदस्यों की बातों को सुना। इधर से भी सुना और उधर से भी बातों को सुना।

श्री अकबाल हुसैन—

माननीय नेता सदन बहुत अच्छे जूरिस्ट हैं।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री विजय सिंह राना—

आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें। नियमों के अनुसार जब अध्यक्ष खड़े हों तो किसी को आज्ञा नहीं है कि वह बोले।

जहां तक संविधान का, माननीय मोहन सिंह और दूसरे माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, मैं अपनी तरफ से पढ़ना चाहता हूं। जहां तक 175 का संबंध है, उसमें दिया है "विधान सभा को, अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में उस राज्य के विधान मंडल के किसी एक सदन को अथवा साथ समवत दोनों सदनों को, राज्यपाल संबोधित कर सकेगा।" यहां पर यह प्रश्न उठता है कि महामहिम राज्यपाल ने सदन को संबोधित किया या नहीं, और वह यहां पर आए या नहीं वह यहां पर आये और आने के बाद उन्होंने बैठे ही बैठे पहला पैराग्राफ पढ़ा और उसके बाद मुझको पढ़ने के लिये अधिकृत कर दिया और अन्त में फिर उन्होंने आखिरी पैराग्राफ पढ़ा, तब किसी आपत्ति का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक संविधान का प्रश्न है, उसमें भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वह किसी को अधिकृत नहीं कर सकते। अगर वह किसी कारण न आये और सदन सम्बोधित किया गया होता, तब किसी प्रकार की आपत्ति की जा सकती थी। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 212 (2) की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें साफतौर पर लिखा है कि "राजकीय विधान मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है।"

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

यह सदन विधान मण्डल की कार्यवाही नहीं है।

(श्री अध्यक्ष के खड़े होने पर—शोर)

श्री राम आसरे वर्मा—

निर्णय देने से पहले मान्यवर, हमारी एक बात सुन लें, आपको मदद मिलेगी। बड़ा अहम सवाल है।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मेरी भी एक बात सुन लें, तब निर्णय दें, इसी से संबंधित बात है।

श्री अध्यक्ष—

हमने सब को सुन लिया है, अब आप बैठिये। हम अब किसी को इजाजत नहीं दे रहे हैं बोलने की, आप बैठें।

श्री योगेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, अधिवक्ता एवं यहां पर यह उठ रहे हैं कि यदि राज्यपाल महोदय पहला पैराग्राफ और आखिर का पैराग्राफ पढ़कर यहां से चले जाते तो कोई बात नहीं उठती।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी यही बात कही और माननीय प्रोफेसर साहब ने भी यही बात कही, वह इस कुर्सी को सुशोभित भी कर चुके हैं और उनका कहना है कि अगर हम वहां पर होते तो पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़वाते और फिर सदन उठ जाता। यही बात हम लोग भी कह रहे हैं तो मान्यवर, आप निर्णय सुनाते समय इस बात का ध्यान रक्खें कि क्या महामहिम राज्यपाल महोदय किसी को अधिकृत कर सकते हैं बीच में पढ़ने के लिए या नहीं?

श्री अध्यक्ष–

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि किसी कारण से राज्यपाल महोदय यहां पर न आते और ऐसी स्थिति में उनका अभिभाषण न होता, तब कुछ कहा जा सकता था कि वह आये नहीं इसलिये उनका अभिभाषण नहीं हुआ, लेकिन वह यहां पर स्वयं आए और पूरी तरह से पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ा। जब राज्यपाल महोदय अभिभाषण को पढ़ते हैं तो वह सदन की सम्पत्ति हो गयी। बंगाल में भी ऐसा ही हुआ ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन–

गवर्नर का एड्रेस हाउस की प्रापर्टी नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष–

बाद में होता है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

महामहिम राज्यपाल ने जो आपको निदेश दिया वह क्या हाउस की प्रापर्टी है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसी प्रकार बंगाल में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है । अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के 52 से 67 में पृष्ठ 334 पर मद 295 पर देखें । उसमें दिया है "राज्यपाल अपना अभिभाषण स्वयं न पढ़कर किसी अन्य व्यक्ति से पढ़वा सकते हैं और इस पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती।" उसी में आगे दिया है "5 फरवरी, 1963 को . . . श्री नेक राम शर्मा ने कहा कि राज्यपाल महोदय यहां संबोधित करने आये थे। उन्होंने स्वयं सदन को संबोधित नहीं किया। उन्हें विधान की किसी भी धारा के अनुसार यह अधिकार नहीं है कि वे अपना भाषण किसी से पढ़वा सकें . . . । तो वह अभिभाषण इस सदन की वस्तु नहीं हो सकता . . . ।" माननीय नेक राय शर्मा जी ने 1963 में इस प्रकार का प्रश्न उठाया था । उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था "पहली बात तो यह है कि हमारे माननीय सदस्यों के आग्रह पर उन्होंने ऐसा किया था और दूसरी बात यह है कि गवर्नर ने आदेश दिया था, तब पढ़ा गया था। इसके लिये गवर्नर साहब की बात पर यहां ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।"

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अच्छी तरह से याद है सन् 1974 में महामहिम अकबर अली जब राज्यपाल थे, उस वक्त भी ऐसा ही संकट पैदा हुआ था। मैं उस प्रोसीडिंग्स को पढ़ना चाहता हूं ––

"शोर और थपथपाहट के बीच महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण प्रारम्भ किया. . . इसी बीच विरोधी पक्ष के मा0 सदस्य शोरगुल करते हुए महामहिम राज्यपाल के ऊपर पर्चे फेंकने लगे तथा कुछ माननीय सदस्य डायस तक भी पहुंच गये। उस समय विधान सभा के कर्मचारी एवं रक्षक आदि ने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को महामहिम राज्यपाल तक पहुंचने से रोका। तथा माननीय चरण सिंह (नेता विरोधी दल)

[श्री अध्यक्ष]

एवं श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को समझा बुझाकर उनकी सीट पर वापस जाने को कहा। विरोधी पक्ष के मा0 सदस्य अपनी-अपनी सीट पर वापस चले गये परन्तु शोरगुल होता रहा। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को प्रारम्भ करने के पश्चात् श्री सभापति, विधान परिषद् महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने लगे।''

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

यह दूसरी परिस्थिति थी जब कि यहां पर दूसरी परिस्थिति है ।

श्री अध्यक्ष–

इसी प्रकार की परिस्थितियां रही हैं, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों को अस्वीकार करता हूं । महामहिम राज्यपाल ने जो कार्यवाही की वह वैधानिक थी और उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

सरकार के दस्तावेज को एक न्यूट्रल व्यक्ति ने पढ़कर सुनाया .....।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर अपना निर्णय दे चुका हूं, अब आप इस पर नहीं बोल सकते ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

यहां पर जो संविधान के विरुद्ध कार्यवाही हुई, उसके विरोध में सम्पूर्ण विपक्ष बहिर्गमन करता है ।

(श्री राजेन्द्र सिंह लोकदल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम भी सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रियासत हुसैन–

इस सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि वह महामहिम राज्यपाल को इस बात की सलाह देती कि राष्ट्रपति से अपने अस्वस्थ होने की सूचना देते हुए वह अनुपति प्राप्त करते कि किस तरह से भाषण पढ़ा जायेगा । यह राय उन्हें राष्ट्रपति से लेनी चाहिए थी । उन्होंने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया इसलिए जनता पार्टी सदन का त्याग करती है ।

(श्री रियासत हुसैन जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम आसरे वर्मा–

संविधान में स्पष्ट प्राविधान है कि यदि राज्यपाल अपना भाषण पढ़ने के लिए अक्षम है तो वे इसके लिए राष्ट्रपति महोदय से पहले से अनुमति लेते कि इस तत्कालिक कठिनाई को मैं किस प्रकार से हल करूं । और उनके अनुदेशों के अनुसार ही वह कार्य करते परन्तु उन्होंने अपने दायित्व को नहीं निभाया, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा निर्दलीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री खैरुल बशर–

महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण को इस सदन में स्वयं पढ़कर नहीं सुनाया बल्कि दूसरे को यह पावर डेलीगेट कर दी । जबकि उन्हें ऐसा करने के लिए

राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी चाहिये थी। इसलिए मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र सदस्य की हैसियत से इस सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

अध्यक्ष–

"माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र के अवसर पर नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं । आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है ।"

अब मैं अन्तिम पैरा से पढ़े दे रहा हूं ।

"माननीय सदस्यगण, इन शब्दों के साथ मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अग्रसर हों और इस प्रदेश की गौरवशाली परम्परा के संरक्षण और अभिवर्धन में अपना विशिष्ट योगदान करें ।"

(श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 30-34 पर।)

उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) अध्यादेश, 1982†

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)–

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982†

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखती हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982†

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1982†

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (तृतीय) अध्यादेश, 1982†

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्यमंत्री (श्री गुलाब सेहरा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (तृतीय) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोशिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (तृतीय) अध्यादेश, 1982†

जन स्वास्थ्य राज्यमंत्री (श्री हरि सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोशिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) (तृतीय) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982†

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1982†

कृषि राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982†

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले इसे रख तो लेने दीजिये ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति

[समय 1 बजकर 25 मिनट]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह जो आज सदन में राज भाषा संशोधन (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 रखा है यह राज्य विधान मण्डल की वैधानिक शक्ति के बाहर है। आज प्रदेश समस्याओं से घिरा हुआ है, जैसे भुखमरी आदि की जो समस्यायें हैं, उनसे जनता का ध्यान हटाने के लिये यह अध्यादेश निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा। जनता का ध्यान बटाने के लिये अध्यादेश के अनुच्छेद में 5 बातें दी गयी हैं, मैं इस समय उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आपको क्या एतराज है, वह कहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भाषायी अल्पसंख्यकों का संरक्षण-76 में यह पुस्तक जारी की गयी। आज यह जो अध्यादेश जारी किया गया है, यह जनता को गुमराह करने के लिए किया गया है। आप संविधान को देखने की कृपा करें। इसके अनुच्छेद 345 में व्यवस्था की गयी है – राज्य की राजभाषा या राज भाषायें —"अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा।" तो हिन्दी को यहां अपनाया गया है। अब इसके बाद अनुच्छेद 347 को देखने की कृपा करें। "तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाये तो

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय मान्यता दी जाये।'' तो यह भी हमारे यहां 1960 में पूरा हो चुका है। आज जो यह व्यवस्था की जा रही है, उसमें हमें पीछे ढकेला जा रहा है। इस लिए यह जो व्यवस्था की जा रही है, यह अनावश्यक है और संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है और विवाद पैदा करने के लिये यह व्यवस्था की जा रही है।

जहां तक उर्दू के विकास का प्रश्न है, मैं और मेरा दल उसके विकास में पूरी तरह से कटिबद्ध है उसके लिए सुविधायें मिलनी चाहिए लेकिन विवाद पैदा करने के लिये यह जो किया जा रहा है, यह उचित नहीं है और जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने के लिए इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर) इसमें बहस करने की बात नहीं है। अपना एतराज बतायें।

*श्री रियासत हुसैन–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो संवैधानिक आपत्ति उठाई है, उसका मैं पूर्णतया विरोध करता हूं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार सरकार को संविधान में दिया गया है और उसके बाद वह उसे सदन की टेबुल में रखेगी। परन्तु मेरी जो आपत्ति है, वह मैं बताना चाहता हूं। सरकार ने यह अध्यादेश जारी करके एक खिलवाड़ किया है। अगर उनकी नियत है, तो उसको जल्दी से, उसका अन्तिम रूप देना चाहिए था। लेकिन तमाम प्रदेश के अन्दर इसको लेकर विवाद पिछले मर्तवा खड़ा हो गया। कुछ जगहों के ऊपर ला एण्ड आर्डर के मामले भी खड़े हो गये। ये अध्यादेश यहां से जाते हैं, कौंसिल से वापस आ जाते हैं। इसमें कुछ अध्यादेश ऐसे भी हैं जो विवादस्वरूप तो नहीं हैं लेकिन जो राज भाषा वाला है, इसको लेकर खिलवाड़ बना दिया। इसकी परेशानी और नुकसान सबको उठाना पड़ा है। तो उसका पछतावा आखिर सरकार को कब होगा? मैं इस राज भाषा के बारे में चाहता हूं कि सरकार इसमें खिलवाड़ न करे। जहां तक अध्यादेश लाने का सवाल है, वह लाया जा सकता है, लेकिन जैसा पिछली मर्तवा अध्यादेश लाकर तमाम नफरत पैदा हो गयी, ऐसा न करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इसको उस समय उठाना चाहिए था, जिस समय यह पेश होता। मान्यवर, पहली तो बात उन्होंने राष्ट्रपति की कान्सेन्ट के बारे में कही है, 347 संविधान का जिसका हवाला दिया है—

''आन ए डिमांड बिइंग मेड इन दैट बीहाफ दि प्रेसीडेन्ट मे, इफ ही इज सैटिस-फाइड.....''

मान्यवर, जो हमारा आर्डिनेन्स यहां पर आया, उसके ऊपर राष्ट्रपति की दस्तखत होती है, तो राष्ट्रपति की कान्सेन्ट से ही आर्डिनेन्स हुए। दूसरी बात मान्यवर, भ्रमात्मक कही गयी है, जो राज भाषा है, जिसकी तरक्की के लिये अभी 10 करोड़ रुपया भी मंजूर कर दिया है...

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, 10 करोड़ को 4 परसेंट पर बिजली बोर्ड को दिया है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह–

वह तो आपने 4 परसेंट ब्याज पर बिजली बोर्ड को दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इस पर पूरी चर्चा तो उस समय होनी चाहिए थी, जिस समय यह बिल पेश हो जायगा।

श्री अध्यक्ष–

मैंने गुप्ता जी की बात को पूरी तरीके से सुना। इसमें जहां तक संविधान की धारा का सवाल है, इस समय इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। आप संविधान की धारा 213 को देखें — राज्यपाल की विधायिनी शक्ति।

"213(1)–उस समय को छोड़कर जबकि राज्य की विधान सभा तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मण्डल के दोनों सदन, सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल को समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं, तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा, जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित हों।"

फिलहाल यह केवल सदन के पटल पर रखा हुआ है, इसको इस समय चैलेंज नहीं किया जा सकता है और जब आगे चर्चा होगी, तब आप कह सकते हैं, कि इसको न पास करायें। मैं आपकी बातों में कोई तथ्य नहीं पाता हूं, और आपत्ति को अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1982†

नगर विकास एवं आवास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विकीकर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1982†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान (संस्थान) अध्यादेश, 1982†

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान (संस्थान) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1982†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विक्रीकर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1982†

नगर विकास एवं आवास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1982†

नगर विकास एवं आवास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983†

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अध्यादेश, 1983†

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (अट्ठारहवां संशोधन) नियमावली, 1982††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से वित्त (मनोरंजन-कर) अनुभाग की अधिसूचना संख्या बीस आर0(2)/78-यू0पी0ए0-3-1-1956–रूल-1951 ए0एम0(18)-79, दिनांक 21 जून, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (अट्ठारहवां संशोधन) नियमावली, 1982 को उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 13 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन को ज्ञापन सहित भारत का संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1978-79†

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1978-79 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1978-79 एवं 1979-80†††

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि0 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1978-79 एवं 1979-80 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

†††छापे नहीं गये।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति का शुद्धि-पत्र।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति सं0 एस0टी0 दो 4581/दस–5 (2)/79, उ0 प्र0 अधि0 15–48-नियम/1948-संशोधन (द्वितीय) 1981, दिनांक 1 अक्टूबर, 1981 से संबंधित शुद्धि पत्र सं0 एस0टी0–2–8419/दस–5 (2)-79, दिनांक 16 जनवरी, 1982 जो दिनांक 22 मार्च, 1982 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी थी और जो दिनांक 20 अगस्त, 1982 को सदन के पटल पर पुनः रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा का सत्रावसान हो जाने के कारण पुनः पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर एक्ट, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

मेरठ मंडल विकास निगम लिमिटेड, मेरठ का वार्षिक प्रतिवेदन, 1980-81†

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से मेरठ मंडल विकास निगम लिमिटेड मेरठ के वार्षिक प्रतिवेदन 1980-81 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 लिमिटेड की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1979-80††

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 लिमिटेड की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1979-80 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कराधान जांच समिति का प्रतिवेदन, 1980†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कराधान जांच समिति का प्रतिवेदन, 1980 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे 1980††

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे 1980 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 1982††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग की अधिसूचना सं0 20 एम0 (31)–82–वित्त (म0क0) अनु0-यू0पी0ए0-3- 1956-रूल-1951-ए0एम0 (19)-1982, दिनांक 13 सितम्बर, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 1982 को उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 13 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

†††छापे नहीं गये।

गोरखपुर मंडल विकास निगम लिमिटेड की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1978-79†

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं गोरखपुर मंडल विकास निगम लिमिटेड की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण वर्ष 1978-79 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र, 1977-78†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र 1977-78 को इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 69 की उप-धारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र, 1978-79†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र 1978-79 को इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 69 की उप-धारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0 पी0 स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन, 1977-78†

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अमीन)—

मान्यवर, मैं यू0 पी0 स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन 1977-78 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1972-73†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1972-73 को ज्ञापन सहित भारत का संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र (प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग) वर्ष 1982-83†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग) वर्ष 1982-83 को इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 61 की उप-धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1973-74†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 को ज्ञापन सहित भारत का संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं संसदीय अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 3775 सं0–17–1–82–170 सं0–80, दिनांक 1 सितम्बर, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 में किये गये आनुसंगिक संशोधनों तथा सदन की सहमति से किये गये शाब्दिक और आनुषंगिक सुधार का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 35 पर।)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 11 फरवरी, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 मार्च, 1982 को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 20 अप्रैल, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 फरवरी, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 1982 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 11 मई, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा–

अध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1982-83 का अनुपूरक) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 27 अगस्त, 1982 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 अगस्त, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1892 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनिमय बन गया।

---

††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1977-78 और 1978-79 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक 1982, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 27 अगस्त, 1982 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 अगस्त, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 अगस्त, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 1 सितम्बर, 1982 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 सितम्बर, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी-तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 अगस्त, 1982 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 सितम्बर, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अप्रैल, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 अगस्त, 1982 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 सितम्बर, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 अगस्त, 1982 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 मार्च, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 अगस्त, 1982 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।

अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 1982 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 अगस्त, 1982 की बैठक में पारित किया था, उप राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 22 अक्तूबर, 1982 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1982 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाइसवां अधिनियम बन गया।

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई आदि की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सदन को मैं सूचना देना चाहता हूं कि निम्नलिखित मा0 सदस्यों की गिरफ्तारी कारावासित किये जाने एवं रिहाई की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई है:–

1–श्री अकबर अहमद (नैनीताल)
2–श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही (गोरखपुर)
3–श्री मित्रसेन (फैजाबाद)
4–श्री यदुनाथ सिंह (मिर्जापुर)
5–श्री गोरेलाल शाक्य (इटावा)
6–श्री पंचानन राय (आजमगढ़)
7–श्री सुरेश दत्त पालीवाल (जालौन)।

उपर्युक्त मा0 सदस्यों की गिरफ्तारी/कारावासित एवं रिहाई की सूचना इस सचिवालय के बुलेटिन संख्या 53 से 63 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन†

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)–

मैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा में 4 सितम्बर, 1980 को पुरः स्थापित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अनुसार 4 सितम्बर, 1980 के असाधारण गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित किया गया था। राजस्व मंत्री द्वारा 17 सितम्बर, 1980 को किये गये प्रस्ताव के अनुसार यह विधेयक विधान सभा की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया। उसी दिनांक को समिति में कार्य करने के लिये 18 सदस्य निर्वाचित हुए। समिति के गठन तथा उसमें समय-समय पर हुए परिवर्तन सम्बन्धी अधिसूचनाएं परिशिष्ट 'एक' पर द्रष्टव्य हैं।

---

†छापा नहीं गया।

प्रवर समिति निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन नहीं तैयार कर सकी और इस हेतु विगत सत्रों में यथासमय समिति के सभापति के प्रस्तावों पर माननीय सदन ने समिति का कार्यकाल बढ़ाये जाने के निदेश किये।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, यह तो प्रस्तुत होगा ही।

श्री अध्यक्ष–

पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री जी आप कुछ और बताना चाहते हैं, जो लिखा है इसके अलावा। यह बांटा जायेगा ही लोगों में, कृपा कर बैठें।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार के बारे में मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का पत्र प्राप्त हुआ है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैंने 19 मार्च, 1982 को एक विशेषाधिकार दिया था, वह आफिस में लम्बित है, शासन से रिपोर्ट नहीं मिली। मान्यवर, उसको तो ले लें, अभी नहीं आया। एक साल होने वाला है कोई निर्णय होना चाहिये। महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि ध्यान देकर जल्दी से जल्दी निर्णय करायें।

श्री अध्यक्ष–

जितनी विशेषाधिकार की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनके सम्बन्ध में शासन से जवाब आ जाने पर बाद में निर्णय लिया जायेगा खासतौर से आपकी सूचना पर।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

राजेन्द्र कुमार गुप्त ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया था। इसमें अभी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो आप व्यवस्था दे रहे हैं, शिरोधार्य है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 14 के अनुसार विधान सभा के तीन सत्र होने चाहिए और 90 दिन का उपवेशन होना चाहिए। सौभाग्य से जो इस कुर्सी पर बैठा करते थे, वही आज मुख्य मंत्री हैं उनके मुख से व्यवस्था दी गयी थी। सबसे पहले कहा गया था कि सदन द्वारा दी गयी किसी व्यवस्था का न केवल शब्दों में बल्कि भावना से आदर किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था दी थी कि नियम 14 के अधीन सदन के उपवेशन होने चाहिए। मैंने केवल इतनी बात उठायी कि जो प्रक्रिया अपेक्षित है वह नहीं अपनाई गयी। न जाने कितने अध्यादेश अधिनियमित होने को बाकी हैं, न जाने कितने बिल पेश होने हैं परन्तु सदन नहीं बुलाया गया। विधान मंडल का कार्य केवल अधिनियम बनाना ही नहीं है। कौल और शकधर के अनुसार, मे के अनुसार जो अविलम्बनीय महत्व की चीजें हैं उनकी ओर हम सरकार का ध्यान मा0 सदन द्वारा आकृष्ट करते हैं। प्रदेश की समस्या को उजागर करके शासन का ध्यान आकृष्ट करता है और शासन पर दबाव डालता है कि विधान मण्डल की भावना को देखते हुए कार्य करे। प्रदेश जल रहा है। ला एण्ड आर्डर की हालत आप जानते हैं। प्रदेश में महंगाई कितनी बढ़ गई है। काश्तकार से 140 पर गेहूं लिया। आज काश्तकार 280 पर खरीदने के लिए मजबूर हो गया है . . . .

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, बाकी डिटेल्स में न जायें। अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

निर्णय आप दे दें।

श्री भीखालाल–

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न . .

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे निवेदन है। आप ने सूचना दी है और सूचना के आधार पर हम को शासन से उत्तर प्राप्त होगा तब निर्णय हो सकेगा। तब आप को मौका मिलेगा। इस समय इस पर समय न लिया जाय। नियम इस प्रकार के हैं कि किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई विशेषाधिकार का प्रश्न रखा है तो उस का जवाब आना आवश्यक है। कृपा कर बैठ जायें।

श्री मोहन सिंह–

इस सन्दर्भ में पिछले ही सत्र में हमने और माननीय भीखालाल जी ने दो प्रश्न उठाये थे। आप की पीठ से निर्णय हुआ था। आप की पीठ द्वारा दिए हुये निर्देशों को यह सरकार जो आप के सामने बैठी हुई है, जिस के मुख्य मंत्री ने पिछले 6 महीने में केवल सफारी पैन्ट का विज्ञापन कर के कोई काम नहीं किया उस सरकार के मंत्रि मण्डल और मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप की पीठ से दिये निर्णय की अवज्ञा न करें।

श्री अध्यक्ष–

निर्णय दे देंगे। उस पर विचार होगा।

निर्वाचन याचिका संख्या 2 सन् 1978 के मामले में उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच को मत पत्र प्राप्त कराये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 315 के अनुसार सदन को सूचना देना चाहता हूं। राज्य सभा के लिए 11 सदस्यों के 28 मार्च, 1978 को हुए द्विवार्षिक निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन याचिका संख्या 2 सन् 1978 कुमारी श्रद्धा देवी बनाम श्री श्रीकृष्ण चन्द्र पन्त तथा अन्य के मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति, श्री टी0एस0 मिश्र द्वारा मांग किये जाने पर सचिव, विधान सभा (रिटर्निंग आफिसर) की अभिरक्षा में रखे अवशेष मत पत्रों के मोहर बन्द पैकेट को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा की अनुमति से उक्त न्यायालय में दिनांक 12 जनवरी, 1983 को प्रस्तुत करने हेतु एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच को दिनांक 11 जनवरी, 1983 को प्राप्त करा दिया गया है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 28 जनवरी, 1983 की बैठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा के 1 फरवरी, 1983 के उपवेशन में श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ कर सुनाये जाने तथा औपचारिक कार्य के पश्चात् विधान सभा का 10 फरवरी, 1983 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :–

2 फरवरी, 1983 बुधवार	विधन के निर्देश
3 फरवरी, 1983 गुरुवार	बैठक नहीं होगी
4 फरवरी, 1983 शुक्रवार	
5 फरवरी, 1983 शनिवार	
6 फरवरी, 1983 रविवार	

7 फरवरी, 1983 सोमवार 8 फरवरी, 1983 मंगलवार 9 फरवरी, 1983 बुधवार 10 फरवरी, 1983 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

2–विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 1 फरवरी, 1983 की बैठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा के 2 फरवरी, 1983 के उपवेशन में प्रश्नकाल स्थगित किया जाय तथा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उस दिन के लिए प्राप्त होने वाली समस्त सूचनाओं को भी सदन में न लिया जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिस की सूचना अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 58 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
1 फरवरी, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ 17 पर)

माननीय सदस्यगण,

विधान मण्डल के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र के अवसर पर नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

मेरी सरकार प्रदेश के सुनियोजित बहुमुखी विकास के लिये विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कटिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में कई योजनायें चलाई जा रही हैं।

मेरी सरकार आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिये कृत संकल्प है। प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 46 लाख परिवार हैं जिनमें से लगभग 30 लाख परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। इनमें से 15 लाख परिवारों को विशेष कम्पोनेन्ट योजना के द्वारा गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया है। यह आशा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक 9 लाख से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हो जायेंगे।

प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों तथा समाज के दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को गांव सभा एवं सीलिंग की आवंटित भूमि का कब्जा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानून में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि आवंटित भूमि पर दबाव कब्जा करने का अपराध संज्ञेय तथा अजमानती होगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा इन अपराधों के विचारण हेतु उच्च न्यायालय के परामर्श से विशेष न्यायालयों के गठन का प्राविधान भी किया गया है।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में विशेष गति लाने हेतु नये कदम उठाये गये हैं तथा इस वर्ष कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले ऐसे वर्ग के समस्त छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ग के छात्रों के स्वस्थ शैक्षिक वातावरण में पठन-पाठन के उद्देश्य से छात्रावासों की सुविधायें बढ़ाने हेतु नये छात्रावासों के निर्माण का निर्णय भी लिया गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये कायम किये गये आश्रम पद्धति विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हेतु 6 नये विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बल वर्ग के परिवारों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों, को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिये एक निर्बल वर्ग आवास योजना चलाई जा रही है। गांवों में गृह निर्माण हेतु ग्रामीण आवास परिषद का गठन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण तथा हरिजन बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था की योजनायें तेजी से चलाई जा रही हैं और कुएं, हैण्ड-पम्प एवं डिग्गियों का निर्माण बड़ी संख्या में किया गया है।

प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास हेतु लागू की गयी एकीकृत ग्रामीण विकास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का एकमात्र उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में समुचित सुधार करना है। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत दिसम्बर के अन्त तक दो लाख परिवारों को लाभान्वित

किया गया है और 23 करोड़ रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में दी गयी है। बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत डेढ़ करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है।

आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को सामाजिक न्याय एवं आर्थिक उन्नति का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ मेरी सरकार ने उत्पादन में वृद्धि पर भी सक्रिय बल दिया है।

कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों की प्रगति के लिये मेरी सरकार ने विद्युत आपूर्ति हेतु एक विशद रणनीति बनाई है जिसका लक्ष्य है उपलब्ध अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग तथा चालू परियोजनाओं का शीघ्रातिशीघ्र अधिष्ठापन। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष तापीय विद्युत उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप उद्योगों को कटौती से मुक्ति दी गयी है तथा ग्रामीण अंचलों को गत वर्ष के पांच से सात घण्टों की तुलना में दस घण्टे प्रतिदिन के औसत से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रदेश के त्वरित और संतुलित औद्योगिक विकास की दिशा में मेरी सरकार द्वारा ठोस और सक्रिय प्रयासों के परिणाम सामने आने लगे हैं। प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्र की लगभग 3100 करोड़ रुपये की लागत की नयी परियोजनाओं की स्थापना का भी निर्णय लिया जा चुका है। प्रदेश के संतुलित औद्योगिक विकास के लिये पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसमें हथकरघा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में रेशम उत्पादन के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और अब तक 18 जनपदों में यह कार्य चल रहा है। मेरी सरकार का उद्देश्य है कि हर घर में कुटीर उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय।

वर्ष 1981–82 में प्रदेश में चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में लगभग 717 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। यह एक नया कीर्तिमान है। चीनी मिलों द्वारा लगभग 227 लाख टन गन्ने की पेराई हुई जिससे लगभग 21 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। वर्ष 1981–82 में गन्ना उत्पादकों को देय 470 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य में से 440 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है और अवशेष भुगतान प्रक्रिया में है। चीनी उद्योग की पेराई क्षमता में वृद्धि की जा रही है और वर्ष 1983–84 में तीन नयी चीनी मिलों में उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है। किसान के गन्ने की खपत हेतु सुविधा देने के लिये प्रदेश के बाहर गुड़ के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है और किसान को यह सुविधा उपलब्ध है कि वे अपने निजी गन्ने को खड़े कोल्हुओं के माध्यम से पेर कर गुड़ बना लें। इसी उद्देश्य से खांडसारी इकाइयां लगाने की नीति को भी उदार बनाया गया है।

वर्ष 1982 के दौरान औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने और शान्तिपूर्ण ढंग से समस्याओं का निराकरण करने के लिये द्विपक्षीय वार्ता तथा त्रिदलीय सम्मेलनों के आयोजनों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। वर्ष 1982–83 में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत हथकरघा, विद्युतकरघा, काष्ठ कार्य, फर्नीचर कार्य एवं होटल कार्य में न्यूनतम वेतन दरों का पुनरीक्षण किया गया तथा पांच नियोजनों में न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण विचाराधीन है।

खाद्यान्न उत्पादन में हमारे प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दलहन एवं तिलहन में देशव्यापी कमी को देखते हुए उनके उत्पादन पर मेरी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 1982–83 में 260 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये कृषकों को उन्नतिशील प्रजातियों के बीज तथा कृषि रक्षा दवाइयों पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।

कृषि उत्पादन में सिंचाई सुविधाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मेरी सरकार द्वारा सिंचन क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। छोटे कृषकों को शीघ्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भू-गर्भीय जल उपयोगार्थ राजकीय नलकूपों की स्थापना का विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में निर्बल वर्ग के व्यक्तियों की सहायता करके उनकी उत्पादकता शक्ति में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये सूखोन्मुख विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 37 विकास खण्डों में कार्य किया जा रहा है तथा आगामी वर्ष में 63 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम चलाया जायगा।

पशुओं के संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा समय से जानकारी उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार की सहायता से एक सेल की स्थापना का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षात्मक टीकों के उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में एक अतिरिक्त जैविक औषधि उत्पादन शाखा की स्थापना आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है। प्रदेश के 25 जनपदों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिये एक बृहत् कार्यक्रम चलाया गया है। मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिये एक योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत मछुओं को विशेष सहायता दी जा रही है।

राष्ट्र के नव निर्माण में जन स्वास्थ्य की प्रमुख भूमिका एवं वर्ष 2000 ई0 तक सबके लिये स्वास्थ्य के राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति हेतु मेरी सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के सर्वतोमुखी विकास के लिये प्रयत्नशील है। परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्ण रूप से स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है। इसके उत्साहवर्धक परिणाम मिलने लगे हैं। प्रदेश में आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक शिक्षा के पठन-पाठन के स्तर को समन्वित करने के उद्देश्य से इस शिक्षा का प्रान्तीयकरण कर दिया गया है। 135259

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये आवास उपलब्ध कराने के ध्येय से शासन ने भवनों एवं दुकानों और विकसित भू-खण्डों के आवंटन में निर्धारित प्रतिशत तक आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

प्रदेश के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा डिग्री कालेजों के अध्यापकों के चयन हेतु वर्तमान नियम अपर्याप्त पाये गये। अतएव इन संस्थाओं के अध्यापकों की भर्ती को विनियमित कर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं उत्कृष्ट चयन हेतु दो शिक्षा सेवा आयोगों का गठन एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये और दूसरा डिग्री कालेजों के लिये—किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर प्रसार की गति बनाये रखने हेतु उचित कदम उठाये जायेंगे। प्राविधिक शिक्षा के लिये उपलब्ध सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने हेतु लखनऊ में एक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने तथा चोर-बाजारी एवं जमाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु दृढ़तापूर्वक कदम उठाये गये हैं। चीनी एवं सीमेन्ट की उपलब्धता को प्रचुर बनाया जा रहा है। गेहूं तथा धान की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत की जा रही है। आवश्यक वस्तुओं के बाजार दामों में रोक-थाम लाने के लिए मेरी सरकार सक्रिय कदम उठा रही है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़ेपन तथा सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार, केन्द्र सरकार की विशेष आर्थिक सहायता से इस क्षेत्र के विकास के लिये कृत संकल्प है। त्वरित विकास तथा विकास कार्यों से स्थानीय जनता को सक्रिय रूप से सम्बद्ध करने हेतु विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली को पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रम में विशेष महत्व दिया गया है।

पर्यावरण पर वृक्षों के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने वन-नीति में वृक्ष संरक्षण को विशेष स्थान दिया है। वृक्षारोपण की दिशा में प्रदेश में इस वर्ष महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है और अब तक 21 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 22 करोड़ से अधिक वृक्षों का रोपण किया जा चुका है। आगामी वर्ष में पूरे प्रदेश में 42 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वनों के प्रति आस्था जागृत करने के लिये प्रदेश में कई स्थानों पर वन चेतना केन्द्र स्थापित करने की योजना हाथ में ली गयी है।

मेरी सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि जनता को सस्ता तथा त्वरित न्याय सुलभ हो। अतएव इस दिशा में निरन्तर कदम उठाये जा रहे हैं। समाज के निर्बल वर्गों के व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता और परामर्श योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर एक परिषद् का भी गठन किया गया है।

यातायात के अच्छे साधन उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग 1860 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया जायगा जिसमें से 480 किलोमीटर सड़क पर्वतीय क्षेत्र में होंगी। सड़कों और रेलों पर यातायात के दबाव को कम करने के लिये सरकार अन्तर्देशीय जल परिवहन को भी प्रोत्साहित करने की योजना पर विचार कर रही है। राज्य सरकार के एक उपक्रम—राज्य सेतु निगम ने विदेश में तथा प्रदेश के बाहर सराहनीय कार्य किये हैं।

वर्तमान वर्ष में प्रदेश के सामने बाढ़ तथा सूखे की समस्या रही है। परन्तु इसके होते हुए भी प्रशासन शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये सतत् प्रयत्नशील रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये ग्रामीण सुरक्षा समितियों द्वारा जनता का सहयोग प्राप्त करने की योजना बनायी जा रही है।

राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सद्भावना के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से जिला, तहसील तथा विकास खण्ड स्तर पर ठोस एवं सक्रिय कदम उठाये गये हैं। प्रदेश के कतिपय जिलों में विभिन्न स्तरों पर यूथ सेन्टर तथा यूथ क्लब की स्थापना करने के आदेश दिये गये हैं जिससे पारस्परिक सद्भावना बनाये रखने में सहायता मिल सके। साथ ही साथ प्रदेश में हिन्दी तथा उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देने के लिये तथा अन्य प्रदेशों की भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु भी सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं।

मेरी सरकार ने राज्य कर्मचारियों तथा अध्यापकों की उपलब्धियों तथा प्रोन्नति के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाये हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति तक निजी आवास उपलब्ध कराने की योजना भी बनायी गयी है।

जैसा कि आप सभी को ज्ञात है 1982–83 से विकेन्द्रित नियोजन की नयी व्यवस्था प्रदेश में रखी गयी है। इस व्यवस्था में जनपद स्वयं अपनी व्यावहारिक वार्षिक योजनायें तैयार करने लगे हैं। योजना के विभिन्न कार्यक्रमों की पारस्परिक प्राथमिकता निर्धारित करने का उन्हें पहली बार अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि इस नयी व्यवस्था के अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। मेरी सरकार अनुभवों के आधार पर इस व्यवस्था को और भी सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित करने के लिये कटिबद्ध है।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु इस वर्ष मेरी सरकार ने ग्राम पंचायत के नये निर्वाचन भी करा दिये हैं। शेष स्थानीय निकायों के चुनाव के लिये कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में मेरी सरकार नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य-स्तर तथा जनपद स्तर पर जन-प्रतिनिधियों की समितियां गठित की गयी हैं जिससे प्रगति की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा सके। प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को जनपद आवंटित किये गये हैं।

वर्तमान सत्र में आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 1983–84 का आय-व्ययक तथा वर्ष के एक भाग के लिये लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी । विगत सत्र के बाद, जब दोनों सदन सत्र में नहीं थे, कुछ अध्यादेश जारी करने पड़े हैं । इन अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले तथा कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचारार्थ रखे जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण, मैंने सरकार की प्रमुख नीतियों और उसके द्वारा किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की रूप-रेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विधायकगण इस प्रदेश की सर्वांगीण उन्नति करने और जनतंत्र को सफल बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अग्रसर हों और इस प्रदेश की गौरवशाली परम्परा के संरक्षण और अभिवर्धन में अपना विशिष्ट योगदान करें ।

जयहिन्द !

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 24 पर ।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 158 के अन्तर्गत किये गये आनुषंगिक संशोधनों तथा सदन की सहमति से नियम 159 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक और आनुषंगिक सुधार का विवरण ।

नियम 158 के अन्तर्गत

(1) खण्ड 1 (1) में "1981" के स्थान पर "1982" कर दिया गया है ।

(2) प्रस्तावना में शब्द "बत्तीसवें" के स्थान पर शब्द "तैंतीसवें" कर दिया गया है ।

नियम 159 के अन्तर्गत

(1) खण्ड 10 की उपांतिक टिप्पणी तथा पंक्ति 1 में 'धारा 158-क' के स्थान पर "धारा 198-क" रख दिया गया है ।

(2) खण्ड 10 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा के आरम्भ में "198-क" जोड़ दिया गया है ।

विधान सभा सचिवालय

पी0एस0यू0पी0—एल0 339 विधान सभा (707)—1983—813।